

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
गैर-संचारी रोग प्रकोष्ठ, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक / NCD / 2019 /

बिलासपुर, दिनांक / 03 / 2020

–विज्ञापन–

जिले के स्वीकृत ROP वर्ष 2019–20 में स्वीकृति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला बिलासपुर के अंतर्गत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में संविदा में विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। संविदा पर भर्ती किये जाने वाले पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं	विवरण	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्त पद संख्या	वेतनमान	पदस्थापना	योग्यता	वांछनीय
01	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर	2nd A.N.M. (HWC)	60	9	51	12000/	HWC (SHC)	12 th Passed, ANM Passed with INC Affiliated Training Center & Live Registration on Chhattisgarh Nursing Registration Council.	

जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश :

1. आवेदन पत्र के संबंध में –

- 1.1 समस्त पदों हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 09 मार्च 2020 से 24 मार्च 2020 को सायं 5:00 बजे के पूर्व पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीपत रोड, सरकंडा, बिलासपुर में स्वीकार किये जायेंगे।
- 1.2 विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

आवेदन शुल्क –

वर्ग	मानदेय प्रतिमाह ≤ 25000	मानदेय प्रतिमाह >25000
विकलांग / अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला	रु. 100.00	रु. 200.00
अन्य पिछड़ा वर्ग	रु. 200.00	रु. 300.00
अनारक्षित वर्ग	रु. 300.00	रु. 400.00

आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक से **DISTRICT HEALTH SOCIETY, (NCD)** के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि बिलासपुर में देय होगा जमा किया जावेगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से शुल्क देय नहीं

होगा। डी.डी. क्रमांक का उल्लेख करने पर ही आवेदन मान्य होगा। बिना आवेदन शुल्क के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

1.3 आवश्यकतानुसार साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा परीक्षा स्थान एवं अन्य जानकारी समय-समय पर कार्यालयीन नोटिस बोर्ड/जिले की वेबसाइट <http://bilaspur.gov.in> में उपलब्ध करायी जावेगी।

1.4 आवश्यकतानुसार साक्षात्कार जिला मुख्यालय में ली जावेगी। जिसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा। 16500/- से कम एकीकृत वेतनमान वाले पदों हेतु जिले के मूल निवासी अभ्यर्थियों का ही चयन किया जावेगा। 16500/- से अधिक वेतनमान वाले पदों में प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त होंगे।

1.5 अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।

2.- आयु सीमा -

2.1 1 जनवरी 2019 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2019 से की जावेगी। इस आयु सीमा में सभी प्रकार की छूट सम्मिलित हैं।

2.2 (संविदा भर्ती के संदर्भ में आरक्षण व अन्य शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के सभी नियम व शर्तों के अनुसार लागू होंगे)।

3.- चयन प्रक्रिया -

3.1 प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को चयन/ साक्षात्कार तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत किया जावेगा-

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	साक्षात्कार लिए जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना

3.2 साक्षात्कार के समय निम्न अभिलेखों के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है-

1. हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची
2. संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की प्रत्येक वर्ष की अंकसूची
3. संबंधित कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र
5. मूल निवासी प्रमाण पत्र
6. विकलांगता प्रमाण पत्र
7. **अनुभव प्रमाण पत्र-** यह केवल शासकीय संस्थान एवं सार्वजनिक संस्थानों तथा शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों (यथा SHRC) या उपक्रमों का ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा।

3.3 अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी।

- शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत का - 65 प्रतिशत अंक
- साक्षात्कार -20 प्रतिशत अंक

- अनुभव – 10/15 प्रतिशत अंक (प्रत्येक वर्ष हेतु 2/3 अंक) अधिकतम
(एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक)

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश :-

1. संविदा भर्ती के संबंध में आरक्षण व अन्य शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के सभी नियम व शर्तों के अनुसार लागू होंगे।
2. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
3. एक से अधिक पदों में भर्ती इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन एवं शुल्क जमा करना होगा।
4. लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदक का नाम, पूर्ण पता, पद क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम, **(Application for the Post No.----- & Post Name-----)** एवं वर्ग **(SC/ST/OBC/UR)** का उल्लेख होना चाहिए। अन्यथा उक्त के अभाव में आवेदन निरस्त माना जावेगा।
5. **संविदा मानदेय :-** संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित आर.ओ.पी. अनुसार देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
6. उपरोक्त संविदा अवधि 1 वर्ष या वित्तीय वर्ष 2020-21 के आर.ओ.पी. में स्वीकृत होने की दशा में सेवा अवधि में वृद्धि किया जा सकेगा/कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि की वृद्धि की जा सकती है। नियमित भर्ती/राज्य से पदों की स्वीकृति न होने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे।
7. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।
8. विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/महिला आरक्षण नियमानुसार होगी) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. सभी पदों के लिए आयु 01/01/2019 को 18 वर्ष से कम एवं 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस आयु में सभी प्रकार की छुट सम्मिलित है।
11. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कर चिपकाए।
12. उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ वांछित योग्यता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से
 1. शैक्षणिक योग्यता, 2. अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, 3. जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 4. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, स्वयं के द्वारा सत्यापित या राजपत्रित अधिकारी द्वारा छायाप्रतियाँ अनिवार्यतः संलग्न

करें एवं संलग्न नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किये जाने का अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को होगा।

13. आवेदक द्वारा आवेदन में संलग्न किये गये सभी अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा अन्यथा वह योग्य नहीं होगा।
14. अभ्यर्थी को उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. आवश्यकतानुसार चयन प्रक्रिया, कौशल परीक्षा/साक्षात्कार, प्रक्रिया का परिणाम के संबंध में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा/जिले की वेबसाईट www.bilaspur.gov.in में उपलब्ध करायी जावेगी।
16. सभी नियुक्तियां संविदा आधार पर 1 वर्ष तक पूर्णतः अस्थाई व अस्थानांतरणीय है। (आर.ओ.पी. 2019-20 में स्वीकृत अनुसार)
17. शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी /कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई स्वीकृति (**आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो**) प्रस्तुत आवेदन के साथ करना होगा।
18. चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को बॉण्ड भरना होगा कि वे अन्य जगह पर आवेदन करने के लिए संबंधित अधिकारी से अनापत्ती प्रमाण पत्र लेंगे।
19. उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर अंतिम निर्णय का अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर छ.ग. का होगा।
20. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे तथा पृष्ठ क्रमांक भी अंकित करें। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें। (1. आवेदन पत्र, 2. निवास प्रमाण पत्र, 3. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, 4. जाति प्रमाण पत्र, 5. शैक्षणिक योग्यता, 6. अनुभव प्रमाण पत्र, 7. अन्य प्रमाण पत्र)
21. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदकों को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
22. उपरोक्तानुसार पदों की संख्या की स्वीकृति के आधार संवर्गवार पदों की संख्या चयन समिति के अनुमोदन/अनुशंसा उपरांत घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
23. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, चयन समिति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) का होगा। जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
24. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थिति में अपनी उपस्थिति नहीं देने के स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
25. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी का **Performance Appraisal** नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

26. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।
27. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
28. उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने जो पहले से हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इस प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।
29. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
30. **आरक्षण** – जिले में प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया जावेगा।
31. **अनुभव प्रमाण पत्र** – यह केवल शासकीय संस्थान का ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा। पद से संबंधित कार्य क्षेत्र का ही अनुभव मान्य होगा।
32. अनुभव में अंको की गणना एक संस्था में एक पद पर 12 माह पूर्ण होने पर ही एक वर्ष का अंक दिया जावेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंकों की गणना नहीं की जावेगी।
33. उक्त नियुक्ति का चयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्तरीय चयन समिति (एनसीडी) द्वारा किया जावेगा। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि घोषित चयन परिणाम में अंकण/टंकण/मुद्रण/प्रक्रिया संबंधी त्रुटी ध्यान में आती है तो चयन समिति के पास संधारित मूल डाटा के आधार पर चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति किसी भी स्तर पर मान्य नहीं होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बिलासपुर छ.ग.

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम :- एवं पद क्रमांक.....

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला- बिलासपुर छ.ग.

स्वप्रमाणित पासपोर्ट
साईज फोटो

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :
- (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. माता का नाम :
4. (अ) जन्म तिथि (अंको में) : वर्ष माह दिनांक
- (ब) आयु 1 जनवरी 2019 की स्थिति में : वर्ष माह दिन
5. जाति (सामान्य/अनु.जाति/जन.जाति/अ.पि.वर्ग) :
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. लिंग (पुरुष/ महिला/ अन्य) :
7. छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या नहीं :
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. क्या आप विकलांग श्रेणी के हैं :
- 8.1 विकलांगता का प्रतिशत एवं प्रकार :
- 8.2 भूतपूर्व सैनिक हों/नहीं :
9. स्थायी निवास का पता :
- :
- :
10. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :
- :
- :
- मोबा. नं..... दूरभाष
- ई-मेल आई.डी.
11. रोजगार कार्यालय का नाम :

जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक

:

-2-

12. आवेदन शुल्क

वर्ग	मानदेय प्रतिमाह ≤ 25000	मानदेय प्रतिमाह >25000
विकलांग/अ.जा./अ.ज.जा./ महिला	रु. 100.00	रु. 200.00
अन्य पिछड़ा वर्ग	रु. 200.00	रु. 300.00
अनारक्षित वर्ग	रु. 300.00	रु. 400.00

(आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक से DISTRICT HEALTH SOCIETY (NCD) के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि बिलासपुर में देय होगा डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से शुल्क देय मान्य नहीं होगा)

13. बैंक ड्राफ्ट का विवरण

: डी.डी. क्रमांक दिनांक

: बैंक का नाम..... राशि रु.....

14. शैक्षणिक योग्यता :- (वांछित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावे)

क्र	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा के सभी वर्षों का पूर्णांक	उत्तीर्ण परीक्षा के सभी वर्षों का प्राप्तांक	प्रतिशत

15. क्या आप विवाहित हैं। (हाँ/नहीं)

:

16. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची व संख्या:-

1. दसवीं/बारहवीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण- पत्र
2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी वर्षों का)
3. कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
4. रोजगार पंजीयन
5. जाति प्रमाण पत्र
6. मूल निवास प्रमाण पत्र
7. विकलांगता प्रमाण पत्र
8. भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रमाण पत्र।
9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति
10. संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र
11. अन्य

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेंगे।

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पूर्ण पता